विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्र, बाढ़ नियंत्रण तथा निकास प्रणाली पर पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएं और वे. व ले. का. के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग एवं वित्त लेखों की बनाए जाने पर एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा अधिक/व्यर्थ/निष्फल/अनावश्यक/परिहार्य व्यय, व्यर्थ निवेश, निधियों के अवरोधन इत्यादि से संबंधित ₹ 321.34 करोड़ सहित 10 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियाँ निम्न हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

- बोर्ड ने शहरी आश्रय परामर्श समिति एवं बस्ती विकास पुनः स्थापन का निर्माण नहीं किया तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनः स्थापन के लिए किसी नई आवासीय योजना की पहल नहीं की।

(पैराग्राफ 2.1.2)

- बोर्ड ने न तो कोई दीर्घावधि प्रक्षेपण योजना और न ही वार्षिक योजना तैयार की थी।

(पैराग्राफ 2.1.3)

- झु.झो. बस्तियों में सड़कें तथा नालियां बहुत खराब स्थिति में थीं। यहाँ तक कि बोर्ड सार्वजनिक शौचालयों को मूल सुविधा भी उपलब्ध कराने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.2)

- रात्रि शैल्टरों के संचालन तथा प्रबंधन हेतु ठेके के सौंपने में अनियमितताएँ पाई गई।

(पैराग्राफ 2.1.5)

- बोर्ड के पास अपनी संपत्तियों का पूर्ण तथा विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं था। इसकी संपत्तियों के आबंटियों से ₹ 232.10 करोड़ वसूल किया जाना बकाया था।

(पैराग्राफ 2.1.6.2)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

- यहॉ योजनागत व्यय में बचत थी जो 2008-09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ (30.58 *प्रतिशत*) हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.2)

- 2008-12 के दौरान विद्यार्थियों की ड्रापआऊट दर 16 से 23 *प्रतिशत* की श्रेणी में थी।

(पैराग्राफ 2.2.3)

- आईटीआई में 1140 में से 292 संस्वीकृत पद रिक्त थे। पॉलिटेक्नीक में 1080 में से 309 तकनीकी पद रिक्त थे। प्रधानाचार्य के नौ में से आठ पद तथा विभागाध्यक्ष के 25 संस्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त थे। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर तथा ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों में रिक्तियाँ (क्रमशः 31 तथा 62 प्रतिशत) बहुत अधिक थी।

(पैराग्राफ 2.2.4 एंव 2.2.4.1)

- आईटीआई में आवश्यक उपकरणों एवं उपस्कर एनसीबीटी द्वारा निर्धारित 'स्टेंडर्ड टूल लिस्ट' की तुलना में कम पाए गए थे।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

- शिक्षा सत्र 2011-12 में विद्यमान व्यवसायों में नये व्यवसाय तथा अतिरिक्त 106 नई इकाईयों (2236 की इनटेक क्षमता वाली) को आवश्यक अवसंरचना तथा फैकल्टी सदस्यों की सुनिश्चितता के बिना आरंभ किया गया। सीओई के अन्तर्गत आरंभ किया गया कोई भी व्यवसाय एनसीबीटी के साथ संबंधित नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 2.2.7.4, 2.2.7.2 एवं 2.2.10.1)

- 2008-13 के दौरान 17 आईटीआई के 170 लक्षित निरीक्षणों के प्रति निदेशक द्वारा केवल दो आईटीआईज़ में प्रत्येक में एक निरीक्षण किया गया।

(पैराग्राफ 2.2.7.3)

रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली

- ई-इन-सि कार्यालय के बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों को उनके वेतन एवं लेखा कार्यालय से समायोजित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- विभाग ने वित्त अनुभाग के अनुदेश के अनुसार डीएसआर 2012 (–) 12 *प्रतिशत* की बजाए या तो डीएसआर 2012 (+) 8 *प्रतिशत* या डीएसआर 2012 (–) 12 *प्रतिशत* (+) 8 *प्रतिशत* को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों में ₹ 58.72 करोड़ की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी हुई।

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- ₹ 3.72 करोड़ की निविदाओं में न्यायोचित लागत के वैट, ई पी एफ तथा ई एस आई के अग्राह्य तत्व को सम्मिलित किया गया।

(पैराग्राफ 2.3.4.2)

- अनुमानों को बनाने में मात्राओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 17.73 करोड़ की राशि के 107 कार्यों में लागत बढ़ गई।

(पैराग्राफ 2.3.5.7)

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण तथा निकास प्रणाली

दिल्ली में सीवेज पुर्नस्थापना पर एक समर्पित मास्टर प्लान है। अनाधिकृत कॉलोनियों की आबादी का 46 *प्रतिशत* सीवेज स्ट्रोम वाटर नालियों में बहता है संबंधित एजेंन्सियों ने स्ट्रोम वाटर नालियों में बह रहे सीवेज के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2 व 2.4.7 (क))

2004 के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि. एवं बा.नि.वि.) ने यमुना नदी का नियमित स्थलाकृति सर्वेक्षण नहीं किया जिससे मानसून के कारण नदी के तल में आए बदलावों को निश्चित किया जा सके।

(पैराग्राफ 2.4.3.4 (क))

मानसून के लिए एजेंसियों के बनाए जाने में कमी थी जैसा कि मानसून आरंभ होने से पूर्व डि-सिल्टिंग तथा अन्य अनुरक्षण कार्यों को पूरा नहीं किया गया था, जल भराव के संवेदनशील स्थानों का पता लगाने के लिए कोई पर्याप्त तंत्र नहीं था। वर्तमान स्थानों में जल भराव को रोकने के आश्वासन के बावजूद बार - बार जल भराव पाया गया।

(पैराग्राफ 2.4.4)

सि. एवं बा.नि.वि. ने मई 2011 तक कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया जबकि यमुना 2008, 2009 तथा 2010 में खतरे के स्तर को पार कर गई थी। प्राधिकृत स्थानों में नालियों से गाद हटाने तथा हटाई गई गाद को इकट्ठा करने को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.4.4.5, 2.4.4.1 व 2.4.4.2)

वे.व.ले. कार्यालय के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग तथा वित्त लेखों का बनाया जाना

- काम्पैक्ट पीएओ 2000 को रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा कार्यों के लिए औचित्य अध्ययन के बिना अपनाया गया तथा एक पुराना सिस्टम जहाँ लेखाकंन के महत्वपूर्ण कार्य मैनुअली किये जा रहे है जारी था।

(पैराग्राफ 2.5.7.1)

- कान्टेक्ट सॉफ्टवेयर में बजट तथा व्यय नियंत्रण के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कान्टेक्ट आँकड़ों से विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करने की प्रक्रिया मैनुअल थी। मुख्य वित्तीय सूचना के वास्तविक समय आधार पर किए गए एकत्रण, प्रस्तुतिकरण तथा उपयोग के लिए शेयरधारियों के बीच कोई तारतम्यता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब था।

(पैराग्राफ 2.5.7.1)

- यूजर मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल व सिस्टम मैनुअल तथा प्रशिक्षित स्टॉफ की सामान्य कमी, काम्पेक्ट का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया जा सका। वे.व.ले. कार्यालय अपने मैनुअल अभिलेखों अथवा एम.आई.एस. उद्देश्यों के लिए एमएस एक्सल पर उपलब्ध आंकड़ों के समेकन पर अधिक निर्भर रहे।

(पैराग्राफ 2.5.7.3 व 2.5.7.4)

- विभाग में डाटा बैक-अप लेने की आवृति, इसके संग्रहण की अवस्थिति तथा पुनरूद्धार दर्शाने वाला कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं था।

(पैराग्राफ 2.5.7.7)

- आँकड़ों के विश्लेषण आंकड़ों की असंगति के मामलों को दर्शा रहे थे जोकि ऑकड़ों की विश्वसनीयता का विस्तार दर्शाता था।

(पैराग्राफ 2.5.8.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा

रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड सहकारी समितियों के वर्षवार विवरण नहीं रखे। उन समितियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जो अपने लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने, सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान करने, वार्षिक सामान्य बैठकें करने, वार्षिक रिटर्न फाईल करने, चुनाव कराने इत्यादि में विफल रहीं। समितियों की शेयर पूंजी में बकाया ऋण तथा निवेश की कोई वसूली सुनिश्चित नहीं की गई। एसईईएफ निधि का वित्तीय प्रबन्धन कमजोर पाया गया।

(पैराग्राफ 3.1)

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपाय

दिसम्बर 2013 को दिल्ली के 37 सरकारी अस्पतालों में से 8 के पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था। अग्नि सुरक्षा सिस्टमों का कार्य न करना और बेसमेंट का अनुचित प्रयोग देखा गया। इन चुने हुए अस्पतालों में दिल्ली अग्निशमन विभाग के सहयोग से न ही स्टाफ को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और न ही मॉक फायर ड्रिल कराई गई।

(पैराग्राफ 3.2)

दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान

जल भण्डारण तंत्र (ज.भ.त.)/अपशिष्ट जल पुनःचक्रण संयंत्र (ज.पु.च.स.) स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालय अपने पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* छूट प्राप्त करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

लोक नायक अस्पताल

अर्थोपेडिक ब्लाक के निर्माण तथा बिना प्रयोग किए गए सम्बन्धित उपकरणों की खरीद पर ₹ 20.66 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(पैराग्राफ 3.4)

निधियों का अवरोधन और व्यर्थ व्यय

पश्चिमी तथा पूर्वी दिल्ली में दो सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण व प्रचालन पर ₹ 191.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80.20 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ जो कि पूरी तरह से क्रियाशील नहीं थे।

(पैराग्राफ 3.5)

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

बोर्ड ने वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की और भर्ती के लक्ष्य निर्धारित कर दिए। भर्ती को अन्तिम रूप देने के लिए बहुत संख्या में मांग पत्र लंबित पड़े थे। बोर्ड द्वारा एक भी मांग पत्र को इसके प्राप्त होने के समय से निर्धारित 180 दिनों के समय में पूरा नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.8)

दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किए जा रहे सामुदायिक भवन

सामुदायिक भवनों में पीने का पानी, सफाई, नालियां और सीवरेज, बिजली फिटिंग आदि बुनियादी आवश्यकताएं और सुविधाएं नहीं थी या घटिया स्तर की थी। पार्किंग सुविधाएं, रसोई सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा इंतजाम संतोषजनक नहीं थे। समुदायिक भवनों के प्रकार्य की मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं थी। सा. भा. अधिभोग इष्टतम से कम था।

(पैराग्राफ 3.9)

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करना

श.वि.मं. द्वारा गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सुधारों जिनके आधार पर नियमन 2008 बनाए गए थे, के अनुरूप नहीं थे। दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों से हटकर नियमन 2008 में जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधन किए गए। अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में दिशा-निर्देशों पर विचार नहीं किया गया था। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमाओं के नियतन में कुछ विसंगतियाँ पाई गईं। राजस्व विभाग द्वारा खसरों को सत्यापित किए बिना सीमाएँ निर्धारित की गई जिसके परिणामस्वरूप आ.क.स. को अधिक खसरे आबंटित हो गए। संशोधित नियमनों के उल्लंघन में सीमाओं के निर्धारण के दौरान निषिद्ध क्षेत्रों, दि.वि.प्रा. के अवरोधों तथा सीमाओं के अतिव्यापन पर विचार नहीं किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. का शहरी विकास विभाग मार्च 2013 तक ₹ 3029.21 रोड़ व्यय करने के बावजूद भी सभी 895 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें, पानी की लाईनें, सड़कें तथा नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

(पैराग्राफ 3.10)